न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 222/2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :—** 2022/341
दायर दिनांक :— 10.11.2022 **निर्णय दिनांक :—** 22.01.2025

1. संत दुर्लभराम चेला दोलतराम जाति जाट नि. शिवसागर चाखू तह. घंटियाली जिला फलोदी
वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)
प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री सिकन्दर खां मंगलिया अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:: निर्णय ::—

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकरों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 535/6 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535/13 रकबा 0.8337 हैक्टेयर सरहद मौजा शिवसागर पटवार हल्का चाखू तहसील घंटियाली में स्थित है। जमाबंदी सम्वत 2076—2079 संलग्न वाद पेश है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम संत दुर्लभराम चेला (पुत्र) दोलतराम है इसी नाम से वादी के आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि बने हुवे है। वादी को इसी नाम से जाना पहचाना जाता है लेकिन वादी की उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम दलाराम पुत्र मेगाराम व दुलाराम पुत्र मेगाराम दर्ज है जो सरासर गलत है क्यों कि वादी आज से करीब 30 वर्ष पूर्व गृहस्थी जीवन त्याग कर संत दोलतराम के सान्ध्य में साधु बन गया और वादी ने अपना नाम परिवर्तन कर दुलाराम से संत दुर्लभराम कर लिया जिसके कारण वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज में संत दुर्लभराम चेला दोलतराम दर्ज है। जबकि राजस्व रेकर्ड में पूर्वानुसार ही दुलाराम पुत्र मेगाराम व दला राम पुत्र मेगाराम ही दर्ज है। इसिलये वादी उपरोक्त वर्णित खसरान् में अपने गलत नाम दलाराम पुत्र मेगाराम व दुलाराम पुत्र मेगाराम के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम संत दुर्लभराम चेला दोलतराम के नाम से खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह वाद पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार घंटियाली ने जवाब में कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी के खातेदारी में दर्ज है वादी का नाम ग्वाहान को साक्षी दर्ज कर शुद्ध किया जाता है तो कोई उजर एतराज नहीं है। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। वादी के बयान पी.डब्लू—1 कलमबद्ध किये गये, वाद के समर्थन में

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

ईशराराम पुत्र पोकरराम व बागाराम पुत्र केशराराम के बयान कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम शिवसागर पटवार हल्का चाखू के खसरा नम्बर 535/6 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535/13 रकबा 08337 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुलाराम पुत्र मेगाराम व दलाराम पुत्र मेगाराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, सरपंच ग्राम पंचायत नारायणपुरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम संत दुर्लभराम चेला दोलतराम है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम शिवसागर पटवार हल्का चाखू के खसरा नम्बर 535/6 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535/13 रकबा 08337 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम दुलाराम पुत्र मेगाराम व दलाराम पुत्र मेगाराम के स्थान पर संत दुर्लभराम चेला दोलतराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22.01.25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. संत दुर्लभराम चेला दोलतराम जाति जाट नि. शिवसागर चाखू तह. घंटियाली जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 222/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर सिकन्दर खां मंगलिया मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम शिवसागर पटवार हल्का चाखू के खसरा नम्बर 535/6 रकबा 1.0765 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 535/13 रकबा 08337 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम दुलाराम पुत्र मेगाराम व दलाराम पुत्र मेगाराम के स्थान पर संत दुर्लभराम चेला दोलतराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक	को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.01.2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।